

# लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

**Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior**

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिशन/२९७/२०२२/२७८५०

दिनांक: 16/09/22

## कार्यालय आदेश

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री के निर्देशानुसार संस्थान के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/ सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों से यह अपेक्षा है कि वे अपने अनुभव/विचार अपनी प्रतिक्रिया/ पेंशन पोर्टल (अनुभव) pensionersportal.gov.in/anubhav/ पर साझा करें।

उक्त पोर्टल की निगरानी हेतु संस्थान द्वारा डैशबोर्ड जैसे उपकरण का उपयोग किया जावेगा। जैसा कि उजाला, सौभाग्य, जल जीवन मिशन आदि की सूचनाओं की निगरानी और प्रसार के लिए किया जाता है।

(प्राधिकार:- कुलपति महोदय का अनुमोदन दिनांक 16.09.2022)

संलग्न:- मंत्रालय का ई-मेल दिनांक 12.09.2022

*M. K. Singh*  
16.9.2022  
प्रभारी कुलसचिव

## प्रतिलिपि:-

- समन्वय अनुभाग (एसपी-सीडीएन), भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, (खेल विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली - को उनके ई-मेल दिनांक 12.09.2022 के संबंध में सूचनार्थ।
- अवर सचिव- एसपी -6 भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, (खेल विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली - को उनके ई-मेल दिनांक 08.09.2022 के संबंध में सूचनार्थ।
- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- वित्त अधिकारी
- समस्त विभागाध्यक्ष /निदेशक
- उप कुलसचिव (सम्पदा)
- उप कुलसचिव (प्रशासन/ स्थापना)
- निदेशक आईसीटी - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- समस्त अनुभाग प्रमुख - समस्त पर्यवेक्षक - संबंधित पंजी - कार्यालय आदेश



1174/SO-CD-11  
20/9/2022

Office of Minister of State for Youth Affairs and Sports  
Shastri Bhawan , New Delhi

Minister of State for Home Affairs & Youth Affairs and Sports  
has directed the following for immediate action:

- I. Administrative Divisions of the Ministry as well as Sports Authority of India, Nehru Yuva Kendra Sangathan, National Service Scheme, RGNIYD and LNIPE may be directed to promote retiring/retired Officers/Officials to share their feedback/views on Anubhav Page of pensionersportal.gov.in/anubhav/.
- II. Tools like dashboard may be used for monitoring and dissemination of information as done for UJALA, Saubhagya, Jal Jeevan Mission, etc by all organization under MYAS.
- III. To prepare a list of files from 01.06. 2022 to 31.08.2022 which has been delayed by more than three working days with a particular officer (with the name of the Officers) after processing at the initial stage. The information ( MYAS/SAI/NYKS/NSS) may be furnished by 15.09.22.
- IV. To analyze and identify major areas of public grievances/petitions and submit a report by 30.09.2022



TS = 145646



*S. K. Pandey*  
6/9/22  
( S.K. Pandey )  
Under Secretary  
06.09.2022

Secretary(Sports)/Secretary ( YA)

*6/9/22*  
*6/9/22*  
*08.09.2022*

*JS (SCU)*

*DSR/ (VA) ✓*

*6/9*

*7/9*  
*US (CDN)*